कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री नारायणलाल व अन्य — **विपक्षी** सरकार

करम मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 57 / 2025

	कार्यवाही विवरण जी.सी.एम.एस. नम्बर–2025 / 64
25.08.2025	

–::निर्णय::–

दिनांक: 25–08–2025

उपस्थित: श्री राकेश प्रजापत–अधिवक्ता प्रार्थीगण
विपक्षीगण–पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा माण्डली पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 210 आराजी नम्बर 16 रकबा 1.68 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 18 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.98 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी एवं पडौसी आराजीयात के स्वामियों के बीच सीमा को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। उक्त सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपने खेत में पक्की कोट व बाड भी नही कर सक रहा है। पडौसियों की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पास में आ जाने की वजह से वह जानबुजकर प्रार्थीगण को परेशान कर रहे है और उनकी भूमि की बाड कोट को तोडकर खेत में अपने मवेशी घुसा देते है जिससे प्रार्थीगण की बोई फसल नष्ट हो जाती है और प्रार्थीगण को नुकसान उठाना पडता है जिस कारण से प्रार्थीगण को अपने आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। अंतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सलूम्बर हाज़िर रहे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सलूम्बर ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी का आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात / रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मौजा माण्डली पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 210 आराजी नम्बर 16, 18 कुल किता 02 रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री नारायणलाल व अन्य — **विपक्षी** सरकार

कस्म मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 57/2025

	कार्यवाही विवरण जी.सी.एम.एस. नम्बर–2025/64	
	–:आदेश:– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माण्डली पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 210 आराजी नम्बर 16, 18 कुल किता 02 रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि की यदि मौके पर फसल होतो फसल कटाई के बाद राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल भुमार होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय आज दिनांक **25–08–2025** को सरे ईजलास सुनाया गया। (जगदीश चन्द्र बामनिया RAS) **उपखण्ड अधिकारी** सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)